न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 93/2023

1 चरण सिंह पुत्र महताब
2 निम्बो देवी पत्नी महताब
3 रामलाल पुत्र महताब जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र कमल उर्फ छोटूराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
2 वेदपाल पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
3 मुन्नी पुत्री महताब पत्नी रतनसिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। हाल निवासी गहली तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।
4 सुनिता पुत्री महताब पत्नी राजरूप जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। हाल आबाद गहली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।
5 सुनिल पुत्री महताब पत्नी विनोद जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। हाल आबाद ढाढोत तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6 सुशीला पुत्री महताब पत्नी राजेश जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। हाल आबाद ढाढोत तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।

7 किताबो पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

8 सुरेश पुत्र अमीलाल

9 विजय पुत्र अमीलाल

10 सत्येन्द्र पुत्र अमीलाल

जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

11 सन्तोष पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

12 आर्यन पुत्र कर्ण सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

13 गजेन्द्र सिंह पुत्र कर्णसिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

14 गरिमा पुत्री कुलदीप सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

15 घनश्याम पुत्र कुलदीप सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

16 जगतवीर सिंह पुत्र फुल सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

17 पूनम पुत्री कर्णसिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

18 बानबीर पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

19 मन्जू देवी पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

20 मनभावती पुत्री भोलाराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

21 रघुवीर पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

22 रतनसिंह पुत्र फुल सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

23 रतन सिंह पुत्र फुल सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

24 श्रीमती रमति पुत्री भोलाराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

25 सज्जन सिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

26 सन्तोष देवी पत्नी कर्णसिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

27 सुरत सिंह पुत्र फुल सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

28 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

29 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.08.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर बुहाना उनवानी ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश
आदि बनाम चरण सिंह वगै. प्रार्थना पत्र अ. धारा
251 ए राज. काश्तकारी अधि. मु.नं. 364/2022

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर बुहाना, द्वारा मुकदमा नम्बर 364/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 1.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 1.10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 1.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 194 रकबा 9.86 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 14. 53 हैक्टेयर के खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 लगायत 27 है। भूमि खसरा नम्बर 159, 158 एवं 194 एक दुसरे से सटकर है जो सड़क कुहाड़वास से जेतपुर जाती है। उसी सड़क के समान्तर कुहाड़वास से जेतपुर डालनवास के लिए एक रास्ता खसरा नम्बर 194 की सीमा में से जाता है जो हजारों वर्षों से प्रचलित है मौके पर आज भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 2 तथा 7 लगायत 27 इसी प्रचलित रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इस विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए की मद संख्या 2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि खसरा नम्बर 159 में रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के मकानों में आ जा सके। मकानों में आने जाने के लिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मकानों में आने जाने का रास्ता नहीं दिलवाया जा सकता। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता कृषि भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता पहले से नहीं होना चाहिए। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 159 में पहले से प्रचलित रास्ता है। इसी प्रचलित रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अपीलान्ट ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 161 का मौके पर मौखिक विभाजन कर रखा है। मौखिक विभाजन के अनुसार ही मौके पर अपने अपने हिस्से पर टयूबवैल मकानात बना रखे है, पशुओं के बांधने के लिए टीनों के ढारिया बना रखे है। खसरा नम्बर 161 के बीचों बीच आने जाने के लिए रास्ता छोड़ रखा है उसी रास्ते से रेस्पोडेन्ट 1 व 2 उपयोग व उपभोग कर सकते है। अपीलान्टस की भूमि खसरा नम्बर 161 में से नया रास्ता कायम होने से खातेदारी की भूमि बर्बाद होगी। जबकि धारा 251 ए का मदसद किसी खातेदार की खातेदारी की भूमि को बर्बाद करने का नहीं है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.07.2023 के नजरी नक्शे में यह स्पष्ट दर्शाया गया है कि प्रभावित रास्ते में टीनशेड बना हुआ है तथा खसरा नम्बर 161 के बीचो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बीच रास्ता दर्शाया गया है उसमें पेड़ फसल कुछ भी नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बगैर विचारण न्यायालय ने आदेश पारित कर गलती कानूनी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने सभी दस्तावेज व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुहाड़ावास की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि आवेदकगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण को खसरा नम्बर 159 में पहुंचने हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 880 वर्गमीटर बनता है। आवेदकगण के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 159 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने आवेदन धारा 251 ए स्वीकार कर रास्ता दिया है जो विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने सभी दस्तावेज व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुहाड़ावास की रिपोर्ट के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि आवेदकगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण को खसरा नम्बर 159 में पहुंचने हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 880 वर्गमीटर बनता है। आवेदकगण के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 159 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अभाव है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर